(10

पत्रांक–2/एम–88/13– 743(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक : 13.02.2019

विषय :संविदा पर नियोजित सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सकों के मानदेय राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०–443(2) दिनांक–26.04.2016 द्वारा राज्य में संविदा पर नियोजित सामान्य चिकित्सकों को ₹ 44,000/–(चौबालीस), दन्त चिकित्सकों को ₹ 44,000/–(चौबालीस हजार), एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को ₹ 48,000/–(अड़तालीस हजार) रुपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया था ।

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में नियमित चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिरियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। तद्नरूप समनुपातिक रूप से संविदा पर नियोजित सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 की कंडिका–2(4) तथा संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट–"क" की कंडिका–2 (ख) के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सरकार के द्वारा संविदा पर नियोजित सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सकों के मानदेय की राशि को संकल्प निर्गमन के तिथि से निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है:

(1) सामान्य चिकित्सक	–	₹ 65,000/– (पैसठ हजार रुपये मात्र)
(2) विशेषज्ञ चिकित्सक	–	₹ 82,000/– (बेरासी हजार रुपये मात्र)
(3) सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक	–	₹ 89,000/– (नवासी हजार रुपये मात्र)
(4) दन्त चिकित्सक	–	₹ 65,000/– (पैसठ हजार रुपये मात्र)

"आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को भेज दी जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/02/19

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/एम–88/2013– 743(2) पटना, दिनांक 13/02/ 2019

प्रतिलिपि :–प्रभारी, ई गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

D>Sec-2>2019>Sankalp 2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले०एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकरी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / सभी निदेशक, विशिष्ट अस्पताल / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी सिविल सर्जन / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–2,3,7,9,10 एवं 17 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/02/19

सरकार के संयुक्त सचिव

D>Sec-2>2019>Sankalp 2019